

वकील उभय पक्ष उप0। सुना गया। बताया गया कि एस.डी.ओ. को यहां विचाराधीन प्रकरण फैसल हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में विचाराधीन मुत्तकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो ,बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
भरतपुर